



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2013/माघ 9, 1934

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2013/MAGHA 9, 1934

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47), की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित से भिन्न, बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे
 - (i) अनियमित और दैनिक वेतन कर्मचारी;
 - (ii) संविदा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समेकित वेतन पर विनिर्दिष्ट कालावधि की संविदा पर नियोजित कर्मचारी;
 - (iii) बोर्ड में 1 जनवरी, 2004 या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए कर्मचारी;
 - (iv) वे व्यक्ति जो विदेश सेवा निबंधन पर बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर हैं;
 - (v) वे व्यक्ति जो सेवा के विशेष निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किए गए हैं या जिनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तों, बोर्ड में नियुक्त होते हुए भी, अन्यथा दी गई है या जिनकी आयु निर्धारण, किसी अन्य विधि, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत या द्वारा विनियमित है।
3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
 - (क) “बोर्ड” से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित तेल उद्योग विकास बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (ख) “मुख्य लेखा अधिकारी” से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या बोर्ड के अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ग) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (घ) “संतान” से धर्मज संतान और जिसके अन्तर्गत दत्तक संतान शामिल है, अभिप्रेत है। जहां दत्तक ग्रहण, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन अभिदाता या प्रतिपाल्य को लागू स्वीय विधि द्वारा अनुज्ञेय हैं,

का 8) के अधीन अभिदाता या प्रतिपाल्य को लागू स्वीय विधि द्वारा अनुज्ञेय हैं, जो कर्मचारी के साथ रहता है तथा कुटुम्ब का सदस्य माना जाता है और जिसे कर्मचारी ने विशेष इच्छा पत्र के द्वारा नैसर्गिक संतान की हैसियत दी है;

- (ड) “सक्षम प्राधिकारी” से बोर्ड और इसके अन्तर्गत जो समय-समय पर संशोधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियमों 1984 में विनिर्दिष्ट हो, ऐसा कोई प्राधिकारी, अभिप्रेत है;
- (च) “कर्मचारी” से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है;
- (छ) “परिलब्धियों” से बोर्ड द्वारा समय-समय अवधारित रीति से दिया वेतन, छुट्टी का वेतन या दिया गया जीवन निर्वाह अनुदान, यदि कोई हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ग्रेड वेतन, वेतन के समुचित मंहगाई वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान भी है, यदि अनुज्ञेय है;
- (ज) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है- (i) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी या पत्नियाँ, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा तथा संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहां उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही:

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है, या वह उस समुदाय की, जिसकी वह है, रूढ़ि जन्य विधि के अधीन उससे भरणपोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है तो उसे, जब तक कि अभिदाता सचिव को लिखित रूप में यह सूचित न कर दें कि उसे उस रूप में जाना जाता रहेगा, तब से यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं है;

(ii) महिला अभिदाता के मामले में पति, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें तथा जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही:

परन्तु यदि अभिदाता सचिव को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को निष्कासित कर देने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे, तब से यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं है;

- (ज) “अनुसूची” से इन नियमों में जोड़ी गई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) “निधि” से तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि अभिप्रेत है;
- (ञ) “छुट्टी” से बोर्ड द्वारा मान्य किसी भी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है;
- (ट) “अभिदाता” से निधि का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ठ) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;
- (ड) “सचिव” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;
- (ढ) ऐसे शब्दों और पदों से, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) तथा मूल नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में यथास्थिति नियत हैं,

4. निधि का गठन. – (1) निधि का रूपर्या में रख रखाव किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन, इस निधि में संदत्त सभी रकम डाकघर या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा करा दी जाएगी तथा उसका नाम “तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि खाता” रखा जाएगा। जो न्यासियों के लिए मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा इन न्यासियों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं; अर्थात:-

- (i) सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन;
 - (ii) मुख्य लेखा अधिकारी, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन; और
 - (iii) सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि जो सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।
- (3) उपनियम (2) के खण्ड (iii) के अधीन ऐसा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए न्यासी के रूप में कार्य करेगा।
- (4) निधि की वे अनुबद्ध रकमें, जिन्हें निधि से आवश्यक भुगतानों को पूरा करने के लिए तत्काल अपेक्षित नहीं हैं, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों, लघु बचत साधनों या जमा योजनाओं या अन्य ऐसी किसी रीति से जो सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट हैं, जमा की जाएगी।

5. पात्रता की शर्त. – (1) ये नियम ऐसे प्रत्येक कर्मचारी और अंशदायी भविष्य निधि के पात्र व्यक्तियों से भिन्न सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी पर उस माह के आरंभ से जिसमें उसने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी की हैं। लागू होंगे, जिसने बोर्ड सचिवालय में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी की हो।

- (2) यदि लाभ का अधिकारी कोई ऐसा कर्मचारी है, जो निधि के लाभ का अधिकारी होने से पहले अभिदाता किसी समय किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भविष्य निधि में अभिदाता रहा या तो उक्त अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाते में जमा राशि पर (ऐसे भविष्य निधि के संबंध में, उसकी पूर्व नौकरी के अंशदान, यदि कोई हो, भी सम्मिलित हैं) ब्याज सहित, उसकी निधि में उसके नाम स्थानान्तरित कर दी जाएगी। ऐसे मामले में कर्मचारी सभी प्रयोजनों के लिए पिछली भविष्य निधि के लिए अंशदाता नहीं रहता।

6. नामनिर्देशन. — (1) निधि के लिए प्रतिश्रुति के समय अभिदाता सचिव को एक नामनिर्देशन पत्र भेजेगा जिसके द्वारा निधि में उसके नाम जमा रकम, उस रकम के देय होने से पूर्व या देय होने पर अदायगी किए जाने से पूर्व अथवा देय होने पर अदायगी न किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यह कि वह अभिदाता जिसका नामांकन करते समय कुटुम्ब है, तो नामांकन केवल अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में करेगा:

परन्तु यह और कि यदि जहां अभिदाता के नाम किसी अन्य भविष्य निधि में जमा राशि निधि कोष में अंतरित कर दी गई हों, तो ऐसी भविष्य निधि के संबंध में उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन, इस नियम के अधीन सम्यक रूप से किया गया नया नामांकन तब माना जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं करता या करती।

- (2) यदि कोई अभिदाता उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो, वह नामनिर्देशन में वह रकम या अंश जो प्रत्येक नामनिर्देशिनी को देय होगी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत निधि में उसके नाम किसी समय जमा संपूर्ण रकम आ जाए।
- (3) प्रत्येक नामनिर्देशन, प्रथम अनुसूची में पहले से निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।
- (4) अभिदाता, किसी भी समय, सचिव को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक्तः, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार बनाया गया नया नामांकन भेजेगा।
- (5) अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित का उपबंध कर सकेगा—

- (क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिनी के संबंध में कि यदि उसकी मृत्यु, अभिदाता की मृत्यु से पहले हो जाए तो ऐसे नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें नामनिर्देशन में निर्दिष्ट किए जाए अन्तरित हो जाएगा:

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य है तो ऐसा या ऐसे अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का ऐसा अन्य सदस्य होने चाहिए। जहां अभिदाता इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहाँ वह ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक को देय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत नामनिर्देशिती को देय संपूर्ण रकम आ जाए;

(ख) कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा;

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन किसी अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उसके कुटुम्ब में अन्य सदस्यों के आ जाने पर अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने के तुरन्त बाद जिसके संबंध में नामनिर्देशन में उप नियम (5) के खण्ड (क) के अधीन कोई व्यवस्था नहीं की गई है या कोई ऐसी घटना घट जाने पर जिसके कारण, नामनिर्देशन उप नियम, (5) के खण्ड (ख) या उसके परंतुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाता है, अभिदाता नामनिर्देशनों को रद्द करते हुए सचिव को लिखित रूप में एक सूचना देगा और उसके साथ इस नियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया नाम-निर्देशन भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और अभिदाता द्वारा उसे रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना, उस विस्तार तक जहां तक कि वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वह सचिव द्वारा प्राप्त की जाती है।

7. अभिदाता का खाता. - प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किए जाएंगे:-

- (i) उसके अभिदान;
- (ii) जैसा नियम 11 में यथा उपबन्धित अंशदानों पर व्याज;
- (iii) निधि से अधिदाय और रकम निकालना ।

8. अभिदान की शर्तें. - (1) अभिदाता, सेवा में रहते हुए निलम्बन की अवधि को छोड़कर, निधि में प्रतिमाह अभिदान करेगा:

परन्तु यह कि कुछ अवधि तक निलम्बित रहने के पुनःस्थापन पर अभिदाता को उस अवधि के लिए देय अभिदान की बकाया रकम की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में करने का विकल्प दिया जाएगा परन्तु यह राशि उस देय अभिदान की बकाया रकम की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।

- (2) अभिदाता विकल्प पर, उस छुट्टी के दौरान अभिदान नहीं कर सकता जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता है या छुट्टी वेतन, अर्ध वेतन या औसत अर्ध वेतन से कम या उसके बराबर है।
 - (3) अभिदाता को अ-कार्य दिवस के रूप में समझी जाने वाली अवधि के दौरान अभिदान करना आवश्यक नहीं है।
 - (4) (क) अभिदाता छुट्टी पर जाने से पहले मुख्य लेखा अधिकारी को, उपनियम (2) में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने की अपनी इच्छा की लिखित संसूचना देगा;
 (ख) सूचना सम्यक और समय पर न दे सकने पर अभिदान करने के विकल्प का चयन नियत समझा जायेगा;
 (ग) इस उपनियम के अन्तर्गत सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा।
 - (5) ऐसा अभिदाता, जिसने निधि के खाते में जमा राशि को नियम 18 के अधीन निकाल लिया है, ऐसी रकम निकालने के पश्चात् तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाता।
9. अभिदान की दर. - (1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिदान की दर, अभिदाता द्वारा स्वयं नियत की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) यह पूर्ण रूप्यों में दी जाएगी;
 - (ख) इस प्रकार दी गई दर कोई भी ऐसी रकम हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो;

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में जो पहले किसी सरकारी अंशदायी भविष्य निधि में 8.33 प्रतिशत की उच्चतर दर से अभिदान करता रहा है, अभिदान की दर इस प्रकार से दी गई ऐसी रकम हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 8.33 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो;

(ग) जब कोई कर्मचारी, यथास्थिति 6 प्रतिशत या 8.33 प्रतिशत की न्यूनतम दर से अभिदान करने के विकल्प का चयन करता है, तब रुपये के भाग को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, और ऐसा करते समय 50 पैसे को निकटतम पूर्ण रुपये के रूप में गिना जाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, अभिदाता की परिलब्धियां :-

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वही परिलब्धियां होंगी जिनका वह उस तारीख को हकदार था;

परन्तु -

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प का चयन किया था, या उक्त तारीख को वह निलम्बित था तो उसकी परिलब्धियां व परिलब्धियां होंगी जिनका कि वह इयूटी पर लौटने के पश्चात वह उस तारीख को हकदार था;

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर रहता है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प चयनित किया है तो, उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका वह भारत में इयूटी पर होने की दशा में हकदार होता;

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था, उसकी परिलब्धियां वे होंगी जिनका वह निधि में सम्मिलित होने की तारीख को हकदार था;

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने मासिक अभिदान की रकम नियत करने की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा -

क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को इयूटी पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त करता है;

ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चयनित किया था या ऐसी तारीख को वह निलम्बित था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह इयूटी पर वापस आने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

ग) यदि उसने वर्ष के दौरान प्रथम बार बोर्ड की सेवा में प्रवेश किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह, उस मास के वेतन बिल में से जिस मास से, वह निधि में सम्मिलित हुआ है, इस निमित्त करता है;

घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है, और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प चयनित किया है,

या यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के लिए अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करवाता है।

(4) इस प्रकार नियत की गई अभिदान की रकम.-

- (क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकती है;
- (ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है; या
- (ग) यथा पूर्वोक्त अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है;

परन्तु यदि अभिदान की रकम उक्त प्रकार घटाई जाती है तो वह उप-नियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कैलेण्डर मास के किसी भाग में वेतन बिना छुट्टी या अर्ध वेतन अथवा अर्ध औसत वेतन छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प चयनित किया है तो अभिदान की देय रकम काम करने के दिनों की संख्या जिसमें उपर निर्दिष्ट प्रकृति की छुट्टियों से भिन्न छुट्टी, यदि कोई है सम्मिलित है, के अनुपात में होगी।

10. अभिदान की वसूली. -(1) यदि परिलब्धियां तेल उद्योग (विकास) निधि में से ली जाती है तो उन परिलब्धियों के कारण अभिदान की वसूली और अधिदाय के मूल तथा ब्याज की वसूली उसी परिलब्धियों से ही की जाएगी।
 - (2) यदि परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से निकाली जाती है तो अभिदाता अपनी देय राशि प्रतिमाह मुख्य लेखा अधिकारी को भेजेगा।
 - (3) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से जिसको निधि में सम्मिलित होने की उससे अपेक्षा की गई है अभिदान नहीं करता या किसी वर्ष के दौरान किसी मास या कई मासों में नियम 8 में यथा उपबन्धित अभिदान करने में चूक करता है तो अभिदान की बकाया देय रकम के कारण निधि में देय कुल रकम नियम 11 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित अभिदाता द्वारा निधि में संदत्त की जाएगी या चूक करने पर मुख्य लेखा अधिकारी उस रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा, जैसा कि वह प्राधिकारी, जो ऐसे अधिदाय को मंजूरी देने के लिए सक्षम है जिसकी मंजूरी के लिए नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, निर्देश करें, कटौती करके वसूली करने का आदेश देगा।
11. ब्याज.- (1) बोर्ड, अभिदाता के खाते में ब्याज ऐसी दर से जमा करेगा जो सरकारी कर्मचारियों पर समय-समय पर साधारण भविष्य निधि के अधिदाय पर यथा प्रभावी संदेय

ब्याज दर अवधारित की जाए।

- (2) वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में हुए संचयों में किए गए विनिधानों पर वस्तुतः वसूली गई ब्याज की कुल रकम और उसी वर्ष की सभी अभिदाताओं को दी गई ब्याज की कुल रकम के बीच कोई अन्तर है तो उसका अभिदाय बोर्ड द्वारा किया जाएगा, यदि कोई हो। तथापि यदि संचित निधियों के निवेश पर प्राप्त ब्याज वर्ष के दौरान अंशदाताओं को देय ब्याज से ज्यादा हो जाता है तो अधिशेष को अगले वित्तीय वर्ष में किसी न्यूनता को दूर करने के लिए रिजर्व के रूप में रखा जाएगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में यदि कोई खामियां होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। अधिशेष किसी अन्य कार्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा और अधिशेष किसी न्यूनता को पूरा करने के लिए कापर्स का भाग बन जाएगा। कोई भी कार्मिक उस रकम पर अपना दावा नहीं कर रखेगा।

(3) ब्याज हर एक वर्ष के अंतिम दिन निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा:-

- (i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन चालू वर्ष के दौरान निकाली गई किसी रकम को छोड़कर अभिदाता के जमा रकम के लिए 12 मास का ब्याज;
- (ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकम पर चालू वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस के आरम्भ से रकम निकालने के मास के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के लिए ब्याज;
- (iii) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात अभिदाता के खाते में जमा की गई सभी रकम पर जमा करने की तारीख से चालू वर्ष के अंतिम दिन तक के लिए ब्याज;
- (iv) ब्याज की कुल रकम निकटतम पूर्ण रुपये में (पचास पैसे को अगला एक रुपया गिना जाएगा) पूर्णकृत की जाएगी:

परन्तु जब किसी अभिदाता के खाते में जमा अवस्थित रकम देय हो जाती है तो इस नियम के अधीन ब्याज, यथास्थिति, केवल चालू वर्ष के आरम्भ से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक जिसको अभिदाता के लेखे में जमा रकम देय हो जाए, जमा किया जाएगा।

- (4) जमा की तारीख उस महीने का प्रथम दिन समझी जाएगी जो उस मास के ठीक बाद आता है जिससे अभिदाता की परिलब्धियां निकाली या वितरित की जाती है:

परन्तु जहाँ अभिदाता की परिलब्धियों के उस मास के अंतिम दिवस की समाप्ति से पहले आहरण नहीं किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप निधि में उसके अभिदान की वसूली में

विलम्ब होता है, तो ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा, जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन उस पर ध्यान किए बिना जिसमें वास्तविक रूप से वेतन का आहरण किया गया है।

(5) ब्याज उस व्यक्ति को देय होगा जिसे भुगतान किए गए मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक या ऐसी रकम के देय बनने वाले मास के बाद के छठे मास के अंत तक, इन दोनों अवधियों में से जो भी कम है, ऐसी रकम सदत्त की जानी है।

परन्तु जहां मुख्य लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति को कोई ऐसी तारीख संसूचित कर दी है, जिस तारीख को वह नकद अदायगी करने के लिए तैयार है या अदायगी के लिए उस व्यक्ति को चैक भेज दिया है, तो यथास्थिति ब्याज इस प्रकार से संसूचित तारीख या चेक भेजने की तारीख के पूर्ववर्ती मास के अंत तक संदेय होगा।

(6) निधि में किए अधिशेषों पर किसी अभिदाता को शोध्य कोई रकम देय हो जाने के बाद छह मास की अवधि के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक के ब्याज का संदाय, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि संदाय में विलम्ब ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है जो अभिदाता या उस व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना था, नियंत्रण से बाहर थी, सचिव द्वारा प्राधिकृत की जायेगी और ऐसे प्रत्येक मामले में होने वाले प्रशासनिक विलम्ब की पूर्णतः जांच की जाएगी और यदि कोई हो, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(7) यदि अभिदाता सचिव को यह सूचित कर देता है कि वह ब्याज के लिए आशयित नहीं है तो ऐसा ब्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो उसे उस वर्ष के प्रथम दिन से, जिसमें वह ब्याज की मांग करता है ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा।

(8) ऐसी रकमों पर, जो नियम 17 या नियम 18 के अधीन निधि में अभिदाता के जमा खाते में स्थानान्तरित की जाती हैं, ब्याज की गणना ऐसी दरों से की जाएगी जो उप-नियम (1) में विहित है और, इस नियम में वर्णित रीति से संगणित की जाएगी।

(9) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने निकासी की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण किया है तो निकाली गई अतिरिक्त राशि, इस बात का ध्यान किए बिना कि अतिरिक्त निकाली गई रकम अधिदाय है या निकासी है या निधि से अंतिम संदाय है, उसके द्वारा ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान किया जाएगा या रकम के प्रतिसंदाय में चूक होने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश जारी किया जाएगा। यदि कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों से आधे से अधिक वसूल की जानी है तो, ब्याज सहित सम्पूर्ण रकम की वसूली होने तक उसकी परिलब्धियों से मासिक किस्तों में की जाएगी। इस उपनियम के लिए अधिदान

पर प्रभारित व्याज की दर उपनियम (1) के अधीन अधिदान भविष्य निधि सामान्य दर के अतिरिक्त 2.50 प्रतिशत अधिक होगी। अधिदान पर व्याज सुसंगत लेखा शीर्ष के अधीन तेल उद्योग विकास निधि में जमा किया जाएगा।

10. निधियों से अधिदाय. - (1) मुख्य लेखा अधिकारी, किसी अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में किसी एक या अधिक के लिए ऐसी रकम के अधिदाय की अदायगी को मंजूरी दे सकता है जो पूर्ण रूपों में होगी और अभिदाता के तीन मास के वेतन की रकम से या निधि में उसके नाम अवस्थित रकम के आधे से, दोनों में से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी:-

(क) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या निःशक्तता के संबंध में व्यय को, जिसमें, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है, अदायगी के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के व्यय को, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है, निम्नलिखित दशाओं में पूरा करने के लिए, अर्थात्:-

- (1) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से ऊपर के किसी शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए;
- (2) भारत में हाई स्कूल स्तर से ऊपर के किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए;

परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम न हो;

परन्तु यह कि अभिदाता को उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक 6 महीने में एक बार अधिदाय लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुसार समुचित स्तर के किसी अनिवार्य व्यय के संदाय के लिए जो व्यय अभिदाता की रुढ़िगत प्रथा के कारण उसे सगाई या विवाह, अंत्येष्टि या अन्य संस्कारों के संबंध में व्यय करना पड़े;

(घ) अभिदाता, उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय का वहन करने के लिए, इस मामले में अधिदाय किसी अन्य बोर्ड स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए ग्राह्य किसी अन्य अधिदाय के अतिरिक्त उपलब्ध होगा;

(ङ.) जहां अभिदाता अपने विरुद्ध किसी अभिकथित पदीय अवचार की जांच में प्रतिवाद के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है वहां उसकी प्रतिरक्षा का खर्च वहन करने के

लिए ;

- (घ) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को, जैसे टेलिविजन/विडियो कैसिट रिकार्डर/ विडियो कैसिट प्लेयर, वाशिंग मशीन, गीजर, कुकिंग रेंज व कम्प्यूटर क्रय करने के लिए ;
- (छ) उन स्थानों पर जाने के व्यय का भुगतान करने के लिए जो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की समाधानप्रद रूप में तीर्थ स्थान या किसी भी धर्म का श्रेष्ठ स्थान है।

- (2) सचिव, विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अधिदाय की अदायगी की मंजूरी दे सकता है यदि उसे यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता को उप-नियम (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से अधिदाय की आवश्यकता है।
- (3) किसी अभिदाता को अधिदाय सिवाय उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं उप-नियम (1) में अभिकथित सीमा से अधिक अधिदाय या जब तक कि किसी पूर्ववर्ती अधिदाय की अन्तिम किश्त की अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक अधिदाय मंजूर नहीं किया जाएगा।

परन्तु अधिदाय रकम किसी भी स्थिति में निधि में अभिदाता के खाते में बकाया रकम से अधिक नहीं होगी।

- (4) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अधिदाय किसी पूर्ववर्ती अधिदाय की अन्तिम किश्त का प्रतिसंदाय होने से पहले मंजूर कर दिया जाता है तो किसी पूर्ववर्ती अधिदाय के वसूल न किए गए अतिशेषों को इस प्रकार मंजूर किए गए अधिदाय में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्तें ऐसी समेकित रकम के सन्दर्भ में निश्चित की जाएगी।
- स्पष्टीकरण-1 - इस नियम के प्रयोजन के लिए, वेतन में, जहां समय-समय पर मंहगाई वेतन भी शामिल है।

11. अधिदाय की वसूली.- (1) (क) अभिदाता से अधिदाय की वसूली उन समान मासिक किश्तों में की जाएगी जो सचिव निर्दिष्ट करें, किन्तु किश्तों की संख्या बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता स्वयं ऐसा विकल्प न चयनित करे और चौबीस से अधिक, नहीं होगी।

(ख) विशेष मामलों में, जहां अधिदाय की रकम नियम 12 के उप-नियम (3) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, वहाँ सचिव किश्तों की संख्या चौबीस से अधिक निर्धारित कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में किश्तों की संख्या छत्तीस से अधिक नहीं।

(ग) अभिदाता अपनी इच्छानुसार इन नियमों में निर्धारित किश्तों से कम करने का विकल्प चुनकर अधिदाय का प्रतिसंदाय कर सकता है।

(घ) प्रत्येक किश्त पूर्ण रूप्यों में होगी और ऐसी किश्तें नियत करने के लिए अधिदाय की रकम को, यदि आवश्यक हो, तो बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

- (2) (क) अभिदानों की वसूली नियम 10 में वसूली के लिए उपबंधित रीति से की जाएगी और जिस मास में अधिदाय का प्रत्याहरण होता है उससे ठीक बाद वाले मास के वेतन से आरम्भ होगी।
- (ख) जब अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है या किसी कलेंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन के लिए छुट्टी पर है जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता या अर्धवेतन या औसत वेतन के आधे के समतुल्य या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता है, यथास्थित सिवाय अभिदाता की सहमति के वसूली नहीं की जाएगी।
- (ग) अभिदाता के लिखित अनुरोध पर, सचिव अभिदाता को मंजूर किए गए अधिदाय वेतन की वसूली के दौरान अधिदाय की वसूली को स्थगित कर सकता है।

(3) यदि अभिदाता को कोई अधिदाय मंजूर कर दिया गया है और उसने उस अधिदाय का आहरण कर लिया है तथा उसके बाद अदायगी पूरी होने से पहले अधिदाय नामंजूर कर दिया जाता है, तो कुल प्रत्याहरित रकम या अतिशेष का अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा चूक की दशा में, सचिव द्वारा यथा निर्दिष्ट अभिदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किश्तों में जो बारह से अधिक न हो कटौती करके प्रत्याहरित रकम को वसूल किया जाएगा:

परन्तु यह कि, ऐसा अधिदाय नामंजूर करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि प्रतिसंदाय लागू क्यों न की जाए और यदि अभिदाता द्वारा 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण भेज दिया जाता है तो इसे निर्णय के लिए सचिव को भेजा जाएगा और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा है तो अधिदाय के प्रतिसंदाय का इस उपनियम में उपबंधित रीति से लागू किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन की गई वसूली, वसूल होते ही निधि में अभिदाता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

(5) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी को यह संदेह हो कि नियम 13 के अधीन निधि में से अधिदाय के रूप में निकाली गई रकम का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए ऐसी रकम को निकाला जाना मंजूर किया गया था तो वह अभिदाता को अपने सन्देह का कारण सूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करे कि क्या अधिम का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए रकम का निकाला जाना मंजूर किया गया था। यदि 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण

से मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को संबंधित रकम निधि में तत्काल प्रतिसंदाय करने के लिए निदेश देगा या चूक की दशा में अभिदाता की परिलब्धियों में से चाहे वह छुट्टी पर क्यों न हो, उसकी एक एकमुश्त कटौती करने का आदेश देगा। यदि, प्रतिसंदाय की कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा सम्पूर्ण रकम का प्रतिसंदत्त नहीं कर दी जाती है

स्पष्टीकरण – इस नियम के उद्देश्य में, परिलब्धियों के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है।

14. **निधि से धन निकासी.**— (1) किसी भी समय इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए रकम निकालना मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा मंजूर की जा सकती है—

(क) अभिदाता की पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात्, (जिसमें खंडित सेवा काल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 10 वर्ष के भीतर, इनमें से जो पहले हो निधि में उसके नाम अवस्थित जमा रकम में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए दी जा सकती है, अर्थात्:—

(क) अभिदाता या अभिदाता की किसी संतान की उच्चतर शिक्षा का खर्च, जिसमें, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, निम्नलिखित मामलों में वहन करने के लिए, अर्थात्:—

- (1) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर के पश्चात् शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए, और
- (2) भारत में हाई स्कूल स्तर के पश्चात्, चिकित्सकीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषजीय पाठ्यक्रम के लिए;

(ख) अभिदाता या उसके पुत्र या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार की सगाई /विवाह से संबंधित व्यय वहन करने के लिए;

(ग) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय, जिसमें, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, वहन करने के लिए;

(घ) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का क्रय करने के लिए, जैसे टेलिविजन, विडियो कैसिट रिकार्डर, विडियो कैसिट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर और कम्प्यूटर।

(ख) अभिदाता की सेवाकाल के दौरान, निधि में उनके नाम जमा रकम में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए दी जा सकती है, अर्थात्:-

(क) अपने निवास हेतु उपयुक्त गृह का निर्माण करने या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसमें साईट की कीमत दिल्ली विकास प्राधिकरण राज्य, आवास बोर्ड या भवन निर्माण सोसाईटी द्वारा प्लॉट या फ्लैट के आबंटन के प्रति किसी संदाय के लिए निहित है;

(ख) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण करना या उसे अर्जित करने या निर्मित फ्लैट अर्जित करने के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए उधार के कारण बकाया रकम प्रतिसंदाय करना;

(ग) किसी गृह-स्थल का अपने निवास के लिए उस पर गृह निर्माण के लिए क्रय करना या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए उधार के कारण बकाया रकम की अदायगी करना;

(घ) पहले से ही अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित गृह या फ्लैट का पुनर्निर्माण करना या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करना;

(ङ) बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से निर्मित गृह या पैतृक गृह का नवीकरण या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करना या उसका अनुरक्षण;

(च) खण्ड (ग) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह का निर्माण करना;

(ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले बारह माह के भीतर निधि में अवस्थित उसके नाम बिना किसी क्रय से संबंध जमा राशि ।

(घ) (क) मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि के उद्देश्य से रकम की निकासी :-

ऐसा कार्मिक जिसने नौकरी खंडित अवधि सहित यदि कोई हो, के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या जिसकी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने में 5 वर्ष से कम का समय है, उसे मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर आदि खरीदने के लिए या निम्नलिखित शर्तों पर सरकार से लिए ऋण का प्रतिसंदाय करने के लिए अपनी भविष्य निधि से आंशिक अंतिम रकम की निकासी की अनुमति दी जा सकती है:-

(i) मोटर कार खरीदने के मामले में अधिकारी का मूल वेतन 19530 रुपये प्रति माह या अधिक होना चाहिए और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामले में 8560 रुपये प्रति माह या अधिक होना चाहिए;

- (ii) मोटर कार की क्रय हेतु, वाहन की बुकिंग, यदि कोई है, हेतु राशि जमा कराने के लिए निकासी सहित, निकाली गई राशि को 1,10,000 रुपये तक और मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि की खरीदारी के लिए 20,000 रुपये तक या आवेदन की तारीख पर खाते में जमा रकम के 50 प्रतिशत तक या वाहन की वास्तविक कीमत तक, जो भी कम हो, सीमित है;
- (iii) सचिव, विशिष्ट मामलों में, जो ऐसे अधिकारियों के विषय में है जिनकी निम्नतम 15 वर्ष की नौकरी में से 6 मास कम हैं, 36 किस्तों में अग्रिम अधिदाय के प्रतिदेय की अनुमति दे सकता है, उससे अधिक में नहीं। अन्य सभी शर्तों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी;
- (iv) उन अधिकारियों को जिन्हें उपर्युक्त (iii) के अनुसार अधिदाय की अनुमति है, उन्हें 15 वर्ष की नौकरी पूरी करने के पश्चात अधिदाय रकम के शेष बकाया को अंतिम निकाली गई रकम में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है;
- (v) ऐसी रकम प्रत्याहरण को केवल एक बार अनुमति दी जाएगी;
- (ख) मोटर कारों की वृहद् मरम्मत के लिए अंतिम रकम निकासी का अनुदान -

(क) वह कर्मचारी जिसने नौकरी के 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं या जिसके पास अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने में 3 वर्ष से कम का समय है उसे निम्न शर्तों पर अपनी मोटर गाड़ियों की पूर्ण मरम्मत के लिए भविष्य निधि से अंतिम रकम निकासी करने की अनुमति दी जा सकती है:-

- (i) अधिकारी का वेतन 19530 रुपये या उससे अधिक हो;
- (ii) निकासी की रकम 10,000 रुपये या भविष्य निधि में अभिदाता के खाते में बकाया रकम के एक तिहाई या मरम्मत की वास्तविक रकम, जो भी कम है, तक सीमित किया गया है;
- (iii) संबंधित अधिकारी द्वारा कार क्रय किए कम से कम 5 वर्ष होने चाहिए। पुरानी कार के मामले में प्रथम क्रेता द्वारा क्रय की प्रारंभिक तारीख को गणना में लिया जाएगा;
- (iv) ऐसी रकम निकासी को अभिदाता के सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार अनुमति दी जा सकती है;

- (ग) कार या मोटर साइकिल या स्कूटर/मोपेड आदि की बुकिंग हेतु राशि जमा कराने के लिए अंतिम रकम निकासी वह कर्मचारी जिसने सेवा (सेवा की खंडित अवधि सहित, यदि कोई है) के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसे निम्न शर्तों पर मोटरकार/मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड आदि की बुकिंग हेतु भविष्य निधि से आंशिक अंतिम धन निकासी करने की अनुमति दी जा सकती है:-
- (i) मोटर कार के पंजीकरण हेतु अधिकारी का मूल वेतन 19530 रुपये प्रति माह या अधिक है तथा मोटर साइकिल या स्कूटर आदि के मामले में मूल वेतन 8560 रुपये प्रतिमाह या अधिक है,
 - (ii) कार के मामले में प्रत्याहरण की रकम 22,000 रुपये तक और मोटर साइकिल या स्कूटर इत्यादि के मामले में 4000 रुपये तक या कार या मोटर साइकिल या स्कूटर इत्यादि की बुकिंग की वास्तविक रकम तक या जो कम है, सीमित है;
 - (iii) जमा रकम की रसीद को, रकम निकासी की तारीख से एक मास के भीतर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल होने पर कुल रकम निकासी का आहरण प्रतिदेय;
 - (iv) यदि अधिकारी कार या मोटर साइकिल या स्कूटर आदि नहीं क्रय करता या योजना में से बाहर होने का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम रकम निकासी को विनिर्माता या डीलर से उस पर मिले ब्याज सहित तुरंत भविष्य निधि खाते में जमा कराना होगा;
 - (v) सचिव, विशिष्ट मामलों में, ऐसे अधिकारी के विषय में जिनकी न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा में से 6 मास कम हैं, 36 से अनाधिक किस्तों में, अधिदाय के प्रतिसंदेय की अनुमति दे सकता है। अन्य सभी शर्तों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी;
 - (vi) उन अधिकारियों को जिन्हें उपर्युक्त (च) के अनुसार अधिदाय की अनुमति दी गई है, उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् अधिदाय रकम के शेष बकाया को अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है;
 - (vii) ऐसी रकम निकासी को अनुमति केवल एक बार दी जाएगी; और

- (viii) भविष्य निधि से रकम प्रत्याहरण के लिए वर्तमान में निर्धारित कुल उच्चतम सीमा को निर्धारित करने के लिए, उपरोक्त 22,000 रुपये या 4000 रुपये की रकम को, यथा स्थिति गणना में लिया जाएगा।

टिप्पण 1: ऐसा अभिदाता, जिसने गृह-निर्माण के प्रयोजनों के लिए अधिदाय दिए जाने की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के अधीन किसी अधिदाय का लाभ उठाया है, या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से सहायता मंजूरी की गई है, खण्ड (ख) के उप खण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, और उपर्युक्त स्कीम के अधीन लिए किसी ऋण को प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए, नियम 15 के उपनियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अन्तिम निकासी की मंजूरी के लिए हकदार होगा;

यदि किसी अभिदाता के पास अपने इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह है या उसने बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से गृह का निर्माण किया है तो वह अपने इयूटी के स्थान पर गृह स्थल खरीदने के लिए या दूसरे गृह के निर्माण के लिए या निर्मित फ्लैट अर्जित करने के लिए खण्ड (ख) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अंतिम रूप से रकम निकालने की मंजूरी के लिए हकदार होगा।

टिप्पण 2:- खंड (ख) के उपखण्ड (क), (घ), (ड.) या (च) के अधीन रकम का निकाला जाना अभिदाता द्वारा निर्मित किए जाने वाले गृह का या की जाने वाली वृद्धि या किए जाने वाले परिवर्तनों का उस क्षेत्र के जहां स्थल या गृह स्थित है स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित मानचित्र प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही मंजूर किया जाएगा और केवल उन्हीं मामलों में मंजूर किया जाएगा जिनमें मानचित्र वास्तव में अनुमोदित कराया जाना है।

टिप्पण 3:- खंड (ख) के उपखण्ड (क), या (घ) के अधीन रकम निकासी की अनुमति वहां भी दी जाएगी जहां गृहस्थल या गृह पत्नी या पति के नाम पर है परन्तु यह तब तक जब कि वह अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि से धन प्राप्त करने वाला या वाली प्रथम नामित व्यक्ति हो।

टिप्पण 4:- इस नियम के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिए केवल एक बार रकम निकालने की अनुमति दी जाएगी किन्तु विभिन्न अवसरों पर या विभिन्न संतान के विवाह या शिक्षा या बीमारियों या उस क्षेत्र के, जहां गृह या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नए मानचित्र के अन्तर्गत आने वाले गृह या फ्लैट में अतिरिक्त वृद्धि या परिवर्तन को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जाएगा। बच्चों की शिक्षा के खर्चों के अदायगी हेतु रकम निकासी की अनुमति वार्षिक आधार पर तब तक दी जाएगी और जब तक कि वह तकनीकी या वृत्तिक पाठ्यक्रम जारी रखता है। उसी मकान के पूरा होने हेतु खंड (ख) के उपखंड (क) या (च) के अंतर्गत दूसरा या उत्तरवर्ती रकम प्रत्याहरण की नियम 15(1) के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

टिप्पण 5:- इस नियम के अंतर्गत रकम की निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि एक ही प्रयोजन के लिए नियम 12 के अंतर्गत तत् समय अग्रिम राशि की मंजूरी दी जा रही हो।

(2) जब भी कोई अभिदाता सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण और बाद में किए गए अभिदान के साक्ष्य के संदर्भ में सामान्य भविष्य निधि लेखे में अपने नाम जमा रकम के बारे में सक्षम प्राधिकारी को समाधान कर देता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं विहित सीमा के अंतर्गत जैसाकि अग्रिम की वापस किए जाने की स्थिति में होता है, रकम प्रत्याहरण की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करने से सक्षम प्राधिकारी ऐसी रकम निकालने या प्रतिसंदाय जाने वाले अभिदाय को जो उस अभिदाता के पक्ष में पहले से ही मंजूर किया है ध्यान में रखेगा।

(3) विशेष कारणों के लिए अभिदाय रकम की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी संबंधित भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर इन आदेशों के संबंध में अंतिम रकम प्रत्याहरण की मंजूरी दे सकता है।

15. रकम निकालने की शर्त :- (1) (क) अभिदाता द्वारा निधि में अपने खाते में जमा रकम से नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, एक समय पर निकाली गई कोई राशि साधारणतया ऐसी रकम के आधे से या छह मास के वेतन से, दोनों में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

(ख) मुख्य लेखा अधिकारी, तथापि निम्न को ध्यान में रखते हुए निधि में अभिदाता के खाते में जमा अतिशेष राशि के तीन-चौथाई तक की सीमा से अधिक राशि के प्रत्याहरण को मंजूरी दे सकता है :-

- (1) अभिदाता की हैसियत को;
- (2) उस उद्देश्य को, जिसके लिए रकम निकाली जा रही है,
- (3) निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम :

टिप्पण :- नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में अभिदाता के खाते में जमा राशि के 90 प्रतिशत तक धन निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

परन्तु किसी भी मामले में नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली अधिकतम रकम विनियमों में गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिम राशि हेतु विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी अभिदाता के मामले में जिसने गृह निर्माण प्रयोजनों के उद्देश्य से अभिदाय के अनुदान के लिए बोर्ड की योजना के अधीन या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित

गृह निर्माण योजना के अधीन कोई अभिदाय लिया है या जिसे अन्य सरकारी स्रोत से इस संबंध में कोई सहायता दी गई है। इस उपनियम के अधीन निकाली गई रकम और उपर्युक्त योजना के अधीन दिए गए अधिदाय या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की रकम को मिलाकर उपर्युक्त योजना तेल उद्योग विकास बोर्ड के विनियमों में गृह निर्माण अभिदायहेतु निर्धारित अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण—उन मामलों में जिनमें अभिदाता को खरीदे गए स्थल या गृह या फ्लैट या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिए अदायगी किस्तों में करना है, नियम 14 के अधीन उसे तब तक रकम निकालने की अनुमति दी जाएगी जब तक उससे ऐसी किस्तों का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।

(2) वह अभिदाता जिसे नियम 14 के अधीन निधि से रकम निकालने की अनुमति दी गई है, मुख्य लेखा अधिकारी को ऐसे यथोचित समय के भीतर जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यह समाधान करेगा कि रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में चूक करता है तो इस प्रकार प्रत्याहरण की गई कुल रकम या उसके उतने भाग को जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह निकाला गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में एकमुश्त प्रतिसंदाय किया जाएगा और ऐसी अदायगी करने में चूक होने की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी उस रकम को उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में, जो मुख्य लेखा अधिकारी यथा निर्दिष्ट की जाए वसूल करने का आदेश देगा।

(3) (क) वह अभिदाता, जिसे उप-खण्ड (क) या उप-खण्ड खण्ड (ख) नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (ख), के या उप खण्ड (ग) के अधीन निधि में अपने नाम जमा रकम निकालने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार निकाली गई रकम से बनाए गए या खरीदे गए मकान या खरीदी गई जमीन का कब्जा, सचिव की पूर्व अनुमति के बिना विक्रय, बंधक (सचिव के नाम में बंधक से भिन्न), दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा किसी रूप में, नहीं देगा:

परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—

- (1) पट्टे पर लिए गए किसी मकान या मकान की जमीन के लिए तीन वर्षों से अधिक न हो; या
- (2) उसे किसी आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में, जिसने नए मकान के

निर्माण के लिए या विद्यमान मकान में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने के लिए ऋण देता हो, बन्धक रखने के लिए, आवश्यक नहीं होगी।

(ख) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, मकान या मकान की जमीन यथापूर्वोक्त उसके कब्जे में ही है, या उसे पूर्वोक्त के अनुसार बन्धक रखा गया है, या अन्यथा अन्तरित कर दिया गया है, या पट्टे पर दे दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो सचिव के समक्ष ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व का विक्रय, बन्धक या पट्टा मूल विलेख और ऐसे अन्य दस्तावेज भी जिन पर सम्पत्ति पर उसका हक आधारित है, प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी भी समय, अभिदाता सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मकान या जमीन का कब्जा से अलग होता है तो वह तुरन्त अपने द्वारा निकाली गई रकम को निधि में एक मुश्त भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान करने में चूक की स्थिति में सचिव, अभिदाता को इस विषय में अम्यावेदन करने का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात्, उक्त राशि को अभिदाता की परिलब्धियों में से, या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, वसूल कराएगा।

स्पष्टीकरण – उस अभिदाता से, जिसने सरकार से ऋण लिया है और उसके बदले में मकान या जमीन सरकार को बंधक रख दी है, निम्न लिखित आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात्:-

‘मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस मकान या जमीन के निर्माण के लिए या जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम निकासी प्राप्त की है, वह मेरे कब्जे में ही है किन्तु सरकार के पास बंधक रख दिया गया है।’

16. अधिदाय के प्रत्याहरण में संपरिवर्तन.- (1) वह अभिदाता, जिसने नियम 12 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), या (ग) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजनों के लिए उक्त नियम के अधीन कोई अधिदाय लिया है या भविष्य में ले सकता है, नियम 14 और नियम 15 में अधिकथित शर्तों को पूरा करने पर सचिव को संबोधित लिखित प्रार्थना पर उस अधिदाय के बकाया अतिशेष को अन्तिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तित कर सकता है।

(2) नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन उस रकम की संगणना करने में इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जिसे अभिदाता द्वारा निकालने की अनुमति दी जा सकती है, संपरिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा रकम या अभिदान तथा उस पर ब्याज और अधिदाय की बकाया रकम को अतिशेष माना जाएगा। प्रत्येक रकम की निकासी को एक अलग निकासी माना जाएगा और एक से अधिक परिवर्तनों की स्थिति में यही सिद्धांत लागू होगा।

17. निधि से संचयों की अंतिम निकासी.- जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ दे तब निधि में उसके नाम जमा रकम, उसे संदेय हो जाएगी:

परन्तु वह अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में उसे सेवा में पुनः स्थापित कर लिया जाता है, यदि बोर्ड ऐसा करने की अपेक्षा करे तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई रकम का नियम 11 में विनिर्दिष्ट दर से उस पर ब्याज सहित, नियम 18 के परन्तुक में उपबंधित रीति से प्रतिसंदत्त करेगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी,

स्पष्टीकरण 1. - अभिदाता, संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति जो या सेवा से निवृत्त हो गया वह व्यक्ति है, जिसे बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित किया गया है से भिन्न अभिदाता के बारे में उस दशा में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है। जब उसे सेवा में व्यवधान के बिना राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीन (जहां उस पर दूसरे भविष्य निधि नियम लागू होते हैं) किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है और उसका अपने पूर्व पद के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। ऐसे मामले में उसका अभिदान ब्याज सहित अंतरित कर दिया जाएगा-

- (क) किसी अन्य निधि में उस निधि के नियमों के अनुसार उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा; या
- (ख) यदि नया पद किसी राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिदानों और ब्याज के ऐसे अंतरण के लिए सहमति दे देती है तो संबंधित राज्य सरकार के अधीन नए खाते में अंतरित कर दिये जाएंगे।

स्पष्टीकरण-2-. स्थानान्तरण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और बोर्ड की समुचित अनुमति से कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पद त्याग के मामले भी हैं। ऐसे मामलों में जिस सेवा में व्यवधान हो जाता है उनमें व्यवधान केवल स्थानान्तरण पदग्रहण अनुज्ञात अवधि तक सीमित होगा। यह उपबन्ध छंटनी के उन मामलों पर भी लागू होगा, जिनमें छटनी के तुरन्त बाद नियोजन में ले लिया जाता है।

स्पष्टीकरण 3- (क) अभिदाता से संविदा पर नियुक्त किए गए या ऐसे अभिदाता जो सेवा से निवृत्त हो चुका है और जिसे बाद में सेवा में पुनःनियोजित किया जाता है, से भिन्न अभिदाता जो सेवा में व्यवधान के बिना किसी ऐसे निगमित निकाय को, जो सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन है या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन को स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो अभिदान की रकम को उन पर ब्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, वे उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

(ख) स्थानान्तरण के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और बोर्ड की सम्यक अनुमति से पद ग्रहण करने के लिए सेवा से पद त्याग के मामले भी हैं। नए पद का भार ग्रहण करने में लगने वाले समय, को, यदि वह समय सरकारी सेवक की एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय पद ग्रहण के लिए अवधि से अधिक नहीं है तो सेवा भंग नहीं माना जाएगा।

18. अभिदाता की सेवा-निवृत्ति.- जब कोई अभिदाता -

- (क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है; या
- (ख) छुट्टी पर रहते हुए सेवा निवृत्त होने की अनुमति दे दी गई है, या जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे और सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब, निधि में उसके नाम जमा अभिदान की रकम अभिदाता को संदेय हो जाएगी:

परन्तु यदि अभिदाता इयूटी पर वापस आ जाता है तो वह, सिवाए उन मामलों के जो सचिव द्वारा विनिश्चित किया जाए, इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई रकम को नियम 11 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, नकद या प्रतिभूतियों के रूप में, या अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में, किशतों में या उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा जैसा कि सचिव निदेश दे अपने खाते में जमा किए जाने के लिए निधि में प्रतिसंदाय करेगा।

19. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया.- निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई हो वहां भुगतान किए जाने के पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर:-

- (i) जब अभिदाता: कुटुम्ब छोड़ देता है -

- (क) यदि नियम 6 के उपबन्धों के अनुसरण में या अभिदाता द्वारा किया गया नामनिर्देशन कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में है, तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका कोई भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन किया गया है अभिदाता के नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा;
- (ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के केवल कुछ भाग के संबंध में है तो, यथस्थिति, सम्पूर्ण रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में नामनिर्देशन तात्पर्यित है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों में समान अंशों में संदेय होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा:-

- (i) उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;
 - (ii) मृतक पुत्र के उन पुत्रों, जो वयस्क हो चुके हैं;
 - (iii) विवाहित पुत्रियों को;
 - (iv) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां,
- यदि खण्ड (i), (ii) (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य विद्यमान हो:

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान या संतानों को आपस में समान भागों में केवल वह अंश प्राप्त होगा जो उस पुत्र को, यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और प्रथम परन्तुक के खण्ड (i) के उपबन्धों से छूट प्राप्त होने से उसे प्राप्त होता।

टिप्पण : (i) किसी अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य को इन नियमों के अधीन संदेय कोई भी रकम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस सदस्य में निहित होती है।

(ii) यदि अभिदाता अपना कुटुम्ब नहीं छोड़ता है तब, यदि नियम 6 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, अभिदाता के नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण 1.- यदि नामनिर्देशिनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अभिदाता पर आश्रित है तो उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रकम ऐसे नामनिर्देशिनी में निहित होगी।

स्पष्टीकरण-2- यदि अभिदाता अपना कोई भी कुटुम्ब नहीं है और नियम 6 के उपबन्धों के अनुसरण में उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन भी विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबन्ध संपूर्ण रकम को या उसके उस भाग को, जिससे नाम-निर्देशन का संबंध नहीं है, लागू होंगे।

20. जमा राशि - सहबद्ध बीमा योजना - अभिदाता की मृत्यु पर, अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को सचिव ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन संदत्त करेगा कि -

‘(क) मृत्यु के मास से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय ऐसे अभिदाता का जमा अतिशेष निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होगा -

- (i) वेतन बैंड-2 (9,300-34,800 रुपये) या ऊपर का पद धारण करने वाले और प्रतिमाह 4,800 रुपये या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अभिदाता की दशा में 25,000 रुपये;
- (ii) वेतन बैंड-2 (9,300-34,800 रुपये) में पद धारण करने वाले और 4200 रुपये प्रतिमाह या अधिक किन्तु 4,800 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले अभिदाता की दशा में 15,000 रुपये;
- (iii) वेतन बैंड-2, वेतन बैंड-1 या वेतन बैंड-आई एस (4,440-7,440 रुपये) में पद धारण करने वाले और 1,400 रुपये प्रतिमाह या अधिक किन्तु 4,200 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले अभिदाता की दशा में 10,000 रुपये;
- (iv) वेतन बैंड-आई एस-(4,440-7,440 रुपये) में पद धारण करने वाले और 1,300 रुपये प्रतिमाह या अधिक किन्तु 1,400 रुपये प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अभिदाता की दशा में 6,000 रुपये;

(ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 60,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।”

(ग) अभिदाता, मृत्यु के समय तक, कम से कम 5 वर्ष की सेवा कर चुका हो।

टिप्पण 1 - अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर औसत अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अंत में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और उपरोक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए-

- (क) मार्च के अंत के अतिशेष में नियम 11 के निबन्धनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा; और
- (ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अंतिम मास मार्च नहीं है तो उक्त अंतिम मास के अन्त के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई है उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि का ब्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पण 2- इस स्कीम के अधीन भुगतान पूर्ण रूपों में होना चाहिए, यदि संदेय रकम में रूपों का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए (50 पैसे की गणना निकटस्थ एक रूपये में की जाएगी)।

टिप्पणी 3 - इस स्कीम के अधीन संदेय रकम बीमा रकम के किस्म की है और इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया संविधिक संरक्षण इस स्कीम के अंतर्गत संदेय रकम पर लागू नहीं होता।

21. निधि में रकम की अदायगी की रीति - (1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो जाती है तो सचिव का यह कर्तव्य होगा कि यह उपनियम (3) में जैसा उपबन्धित है उसके अनुसार इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी अदायगी करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम दी जाती है, पागल है और जिसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो ऐसी अदायगी प्रबन्धक को की जाएगी, उस पागल को नहीं:

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्ति नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसे रकम संदेय है उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो अदायगी भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार कलक्टर के आदेश से उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसकी देखरेख में ऐसा पागल व्यक्ति है, और सचिव केवल उतनी ही रकम का उसे भुगतान करेगा जो वह उस व्यक्ति को जिसकी देखरेख में वह पागल है, देना ठीक समझे तथा अतिशेष, यदि कोई हो, या उसका उतना भाग, जितना सचिव ठीक समझे, ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भरणपोषण के लिए आश्रित है।

3(क) कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन भुगतान का दावा करना चाहता है उस निमित्त सचिव को लिखित आवेदन करेगा:

(ख) निकाली गई रकमों का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा:

(ग) जिन व्यक्तियों को रकमों का भुगतान किया गया, वे भारत में भुगतान प्राप्त करने के अपने प्रबंध स्वयं करेंगे।

स्पष्टीकरण: जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम नियम 17, 18 या 19 के अधीन भुगतान हो गई हो तब सचिव, उप नियम (3) में उपदर्शित रीति से अभिदाता के नाम जमा रकम के उस भाग का तत्काल भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करेगा जिसके संबंध में कोई विवाद या शंका नहीं है।

22 अभिदान के भुगतान के समय लेखा संख्या का उल्लेख करना.- अभिदान का भुगतान करते समय चाहे वह परिलब्धियों में से कटौती हो या नकद हो, अभिदाता निधि की अपनी उस लेखा संख्या को सूचित करेगा जो मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी। लेखा संख्या में होने वाला परिवर्तन मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा उसी प्रकार अभिदाता को सूचित किया जाएगा।

23 अभिदाता को लेखे का वार्षिक विवरण दिया जाना.- (1) (क) मुख्य लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात यथासंभव शीघ्र, प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल को उसका आरम्भिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, उस वर्ष की 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अन्तिम अतिशेष दर्शित होगा।

(ख) मुख्य लेखा अधिकारी जांच के पश्चात यह लेखा विवरण संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता -

(i) नियम 6 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं:

(ii) उन मामले में जिनमें अभिदाता ने नियम 6 के उपनियम (1) के पहले परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, क्या अभिदाता का कोई कुटुम्ब अर्जित किया है या नहीं।

(2) अभिदाता को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में अपना समाधान करेगा और गलतियां विवरण प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर मुख्य लेखा अधिकारी को सूचित करना होगा।

(3) यदि अभिदाता ऐसा अपेक्षित हो तो, मुख्य लेखा अधिकारी वर्ष में एक बार से अनधिक, अभिदाता को उस अन्तिम मास की समाप्ति पर, जिसकी बाबत लेखा लिखा जा चुका है निधि में उसके नाम जमा कुल रकम सूचित करेगा।

24 आवेदन का सचिव को सम्बोधित किया जाना: इन नियमों के अधीन सभी आवेदन सचिव को सम्बोधित किए जायेंगे।

25 वैयक्तिक मामलों में नियमों के उपबन्धों में छूट:- यदि बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि इन नियमों में से किसी भी नियम के प्रवर्तन से किसी अभिदाता को असम्यक् कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो बोर्ड इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे अभिदाता के मामले का निपटारा ऐसी रीति से करेगा जो उसे विधिपूर्ण और साम्यपूर्ण प्रतीत हो।

26 ऐसा कोई मामला जो इन नियमों से अच्छादित नहीं है समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम 1960 में अन्तर्निष्ठ लागू और समुचित विस्तार तक सुसंगत उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा।

27 निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार के पास निर्णय हेतु भेजा जाएगा, जो उस पर निर्णय करेगी।

[फा. सं. जी-38011/8/2013-वित्त-I]

वी. एल. वी. एस. एस. सुब्बाराव, सलाहकार (आई एफ डी)

अनुसूची

[(नियम 6(3)]

नामनिर्देशन का प्ररूप

लेखा सं०.....

में.....नीचे उपदर्शित निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या/ऐसी दशा में, जब वह संदेय हो चुकी हो, किन्तु उसकी अदायगी न हुई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2013 के नियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं/हैं/मेरे कुटुम्ब के सदस्य नहीं हैं/हैं, नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के पूरा नाम और पता एवं पते	अभिदाता के साथ संबंध	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की आयु	प्रत्येक नाम-निर्देशिती को संदेय अंश	ऐसी आकस्मिताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अधिमान्य जाएगा	ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हों, के नाम पते और नातेदारी जिसको/जिनको नाम-निर्देशिती का अधिकार उस स्थिति में संक्रांत होगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	जैसा कि नियम 2 में दिया गया है उसके अनुसार यदि नामनिर्देशिती कुटुम्ब का सदस्य नहीं है तो कारण उपदर्शित करें
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.....20.....स्थान.....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....
नाम बड़े अक्षरों में.....
पदनाम.....

दो साक्षी जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए :-

नाम एवं पता

1.

2.

(प्ररूप का पृष्ठ भाग)

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

द्वारा नामनिर्देशन पदनाम.....

नामनिर्देशन प्राप्त होने की तारीख.....

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

अभिदाता के लिए अनुदेश

(क) अपना नाम लिखिए।

(ख) निधि के नाम को उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए।

(ग) तेल उद्योग विकास कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2013 में परिभाषित कुटुम्ब से निम्नानुसार अभिप्रेत है, -
कुटुम्ब से अभिप्रेत है-

(1) पुरुष अभिदाता की दशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संताने, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता पिता जीविन नहीं हैं वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही:

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह जिस समुदाय की है, रुढ़ि जन्य विधि के अधीन उससे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं रह गई है तो उसे, तब जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में जाना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है।

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता-पिता संतान, अवयस्क भाई, अवयस्त्रि बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित न हो वहां उसके माता-पिता के पितामही या पितामही या मातामही या मातामही:

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को उपयोजित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति का, तब तक जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

टिप्पण : संतान से धर्मज संतान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहां अभिदाता को लागू स्वीय विधि द्वारा मान्य दत्तक संतान भी है।

(घ) स्तंभ 4 - यदि केवल एक ही व्यक्ति को नामनिर्देशित किया जाता है तो उस नामनिर्देशिनी के सामने 'सम्पूर्ण' लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित किया जाता है तो, प्रत्येक नामनिर्देशिनी को देय अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उनके अन्तर्गत आ जाए।

(ङ) स्तंभ 5 - इस स्तंभ में नामनिर्देशिनी (नामनिर्देशियों) की मृत्यु को आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(च) स्तंभ 6 - अपना नाम का उल्लेख न करें।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में एक रेखा खींच दें जिससे आपके हस्ताक्षर करने के पश्चात् उस स्थान में कुछ न लिखा जा सके।

2 टिप्पणी- हटा दिए गए हैं

1 प्रतिस्थापित

2 हटा दिए गए हैं

पेंशन विभाग एवं पी. डब्ल्यू. भारत सरकार के अधिसूचना सं. 20(6)-पेंशन एण्ड डब्ल्यू/86, दिनांक 6 फरवरी 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2013

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Application.**— These rules shall apply to all employees of the Board, other than-
 - (i) those in casual and daily wage employment;
 - (ii) those employed on contract for a specified period on a consolidated salary, except where the contract provides otherwise;
 - (iii) the employees who have been appointed in the Board on or after the 1st day of January, 2004;
 - (iv) persons on deputation in the Board on foreign service terms;
 - (v) those appointed on special terms and conditions of service or whose terms and conditions of service, even on appointment in the Board, provide otherwise or are regulated by or under the provisions of any other law, rules or regulations.
3. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Board" means the Oil Industry Development Board established under section 3 of Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974);
 - (b) "Chief Accounts Officer" means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or other officer of the Board;
 - (c) "Chairman" means the Chairman of the Board;
 - (d) "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a

ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child;

(e) "Competent authority" means the Board and includes any authority specified as such in the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984 as amended from time to time;

(f) "Employee" means an employee of the Board;

(g) "Emoluments" means pay, leave salary or a subsistence grant, if any, in the manner determined by the Board from time to time and includes grade pay and dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;

(h) "Family" means – (i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall hence-forth be deemed to be no longer a member of

the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing;

- (i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (j) "Fund" means the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund;
- (k) "Leave" means any kind of leave as recognised by the Board;
- (l) "Subscriber" means a member of the Fund;
- (m) "Year" means a financial year;
- (n) "Secretary" means Secretary of the Board;
- (o) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) and the Fundamental Rules shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

4. Constitution of the Fund.— (1) the Fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in a Saving Bank Account with the Post Office or with any of the nationalised banks and named the "Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Account" to be operated by the Chief Accounts Officer for the Trustees comprising of the following, namely :-

- (i) The Secretary, Oil Industry Development Board ex-officio;
- (ii) The Chief Accounts Officer, Oil Industry Development Board ex-officio; and
- (iii) A representative of the directly recruited staff to be nominated by the Secretary.

(3) A representative so nominated under clause (iii) of sub-rule (2) shall act as Trustee for such period as may be specified by the Secretary.

(4) Accretions to the fund, not immediately required for meeting obligatory payments from the Fund, shall be invested in such Government securities, Government guaranteed securities, small savings instruments or

deposit schemes or in such other manner as may be specified by the Secretary.

5. Conditions of eligibility.— (1) These rules shall apply to every employee who has completed one year of continuous service in the Secretariat of the Board from the beginning of the month following that in which he or she completed continuous service of one year and all re-employed pensioners other than those eligible to the Contributory Provident Fund.

(2) If an employee admitted to the benefits of the Fund was, at any time prior to his being so admitted to the benefits of the Fund, a subscriber to a Government or Semi-Government or Public Sector Undertaking Provident Fund, the amounts lying to his credit in the said Contributory Provident Fund (including contributions of his previous employees if any, in relation to him in such Provident Fund) together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Fund and in such cases the employee shall for all purposes cease to be a subscriber to such previous Provident Fund.

6. Nomination.— (1) A subscriber shall, at the time of subscribing the Fund, send to the Secretary a nomination, conferring on one or more persons, the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before that amount has become payable, or having become payable, has not been paid:

Provided that a subscriber who has a family at the time of making the nomination, shall make such nomination only in favour of a member or members of his family:

Provided further that, where the amount lying to the credit of a subscriber in any other provident fund has been transferred to the Fund, the nomination made by him in respect of such provident fund shall be deemed to be a fresh nomination duly made under this rule until he or she makes a nomination in accordance with this rule.

- (2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the

nominees in such manner so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the Schedule.

(4) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Secretary. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination –

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination:

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members of his family. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify, the amount or share payable to each of such person in such a manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit at any time;

(b) That the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination, the subscriber has only one member of the family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom, no provision as provided in clause (a) of sub-rule (5) has been made in the nomination or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid by virtue of any provision made in pursuance of

clause (b) of sub-rule (5) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Secretary a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Secretary.

7. Subscriber's Account.— An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown:-

1. His subscriptions;
2. Interest, as provided by rule 11, on subscriptions;
3. Advance and withdrawals from the Fund.

8. Conditions of subscription.— (1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty but not during a period of suspension:

Provided that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in installments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions payable for that period.

(2) A subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

(3) A subscriber need not subscribe during a period treated as dies- non.

(4) (a) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-rule (2) by written communication to the Chief Accounts Officer before he proceeds on leave;

(b) Failure to give due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe;

(c) The option of a subscriber intimated under this sub-rule shall be final.

(5) A subscriber who has, under rule 18, withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

9. Rate of subscriptions.— (1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions, namely:-

(a) It shall be expressed in whole rupees;

(b) It may be any sum, so expressed, not less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments:

Provided that in case of a subscriber who has previously been subscribing to a Government Contributory Provident Fund at the higher rate of $8\frac{1}{3}$ per cent, it may be any sum, so expressed, not less than $8\frac{1}{3}$ per cent of his emoluments and not more than his total emoluments;

(c) When an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent, or $8\frac{1}{3}$ percent, as the case may be, the fraction of a rupee will be rounded to the nearest whole rupee, 50 paise counting as the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the emoluments of a subscriber shall be-

(a) in the case of a subscriber who was in service of the Board on the 31st day of March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date:

Provided that-

- (i) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
 - (ii) If the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;
- (b) In the case of a subscriber who was not in service of the Board on the 31st day of March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.
- (3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner:-
- (a) If he was on duty on the 31st day of March of the preceding year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his pay bill for that month;
 - (b) If he was on leave on the 31st day of March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his first pay bill after his return to duty;
 - (c) If he has entered service of the Board for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;
 - (d) If he was on leave on the 31st day of March of the preceding year and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, or if

he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month.

- (4) The amount of subscription so fixed may be -
- (a) reduced once at any time during the course of the year;
 - (b) enhanced twice during the course of the year; or
 - (c) reduced and enhanced as aforesaid:

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1):

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than leave of the nature referred to above.

10. Realisation of subscription.— (1) When emoluments are drawn from the Oil Industry (Development) Fund, recovery of subscription on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from such emoluments.
- (2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Chief Accounts Officer.
- (3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to subscribe the fund or is on default in any month or months during the course of a year as provided in rule 8, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in Rule 11, be paid forthwith by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Chief Accounts Officer to be recovered by

deduction from the emoluments of the subscriber by installments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (3) of rule 12.

11. Interest.— (1) The Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as the Central Government may, from time to time, determine for payment of interest on subscriptions to the General Provident Fund as applicable to the Government Servants.

(2) The Board shall contribute the difference, if any, between the total amount of interest actually realised on investments made from the accumulations in the Fund during the financial year and the total amount of interest payment to all subscribers in respect of the same year. However, if the interest realised on the investments made from accumulations in the Fund during a financial year is more than the interest amount payable to the subscribers during the year, the surplus shall be carried forward as a reserve to the next financial year to take care of future shortfalls, if any. The surplus will not be used for any other purpose and the surplus at any point of time will form part of the corpus to meet any shortfall and the employees will not have any other claim on the same.

(3) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner:-

(i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year less any sums withdrawn during the current year-interest for twelve months;

(ii) on sums withdrawn during the current year-interest from the 1st day of April of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal;

- (iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year –interest from the date of deposit up to the end of the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this sub-rule in respect of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

- (4) The date of deposit shall be deemed to be the first day of the month succeeding the month in which the emoluments of a subscriber are drawn or disbursed:

Provided that where the emoluments of a subscriber are not drawn before the expiry of the last day of the month to which it relates and consequently there has been delay in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscription shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn.

- (5) The interest shall be payable to the person to whom such amount is to be paid up to the end of the month preceding that in which payment is made, or up to the end of the sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less:

Provided that where the Chief Accounts Officer has intimated to that person a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted the cheque in payment to that person, interest shall be payable only up to the

end of the month preceding the date so intimated or the date of posting of cheque, as the case may be.

(6) Payment of interest on the Fund balance beyond a period of six months, after the amount due to a subscriber became payable, upto a period of one year may be authorised by the Secretary, if he deems fit, that the delay in payment was due to unavoidable circumstances beyond the control of the subscriber and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any, is required to be taken.

(7) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Secretary that he does not intend to receive it, but if he subsequently asks for interest it shall be credited with effect from the 1st day of the year in which he asks for it.

(8) The interest on amounts which under rule 17 or rule 18 are transferred to the credit of the subscriber; in the Fund, shall be calculated at such rates as determined under sub-rule (1) and in the manner provided in this rule.

(9) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the over drawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lump sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. The rate of interest to be charged on overdrawn amount should be 2 ¹/₂ % over and above the normal rate on Provident Fund

balance under sub-rule (1). The interest realised on the over-drawn amount shall be credited to the Oil Industry Development Fund under relevant head of account.

12. Advances from the Fund.— (1) The Chief Accounts Officer may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three month's pay or half the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely:-

(a) to pay expenses in connection with illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases namely :-

- (i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational courses beyond the High School stage;
- (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage:

Provided that the course of study is for a period not less than three years;

Provided that a subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under clause (b) of sub-rule (1).

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him. The advance in this case would be available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source of the Board;

(e) to meet the cost of his defence where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an inquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(f) to purchase consumer durables such as television, video cassette recorder or video cassette player, washing machines, cooking range, geysers and computers;

(g) to meet the expenses for visiting places which, to the satisfaction of the sanctioning authority, are considered as places of pilgrimage or places of eminence of any religion.

(2) The Secretary may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment has been made of the last installment of any previous advance:

Provided that an advance shall in no case exceed the amount standing to the credit of the subscriber to the Fund.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule(3) before repayment of last installment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installments of recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

Explanation.- For the purpose of this rule, pay includes dearness pay, as admissible from time to time.

13. Recovery of advances.— (1) (a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the Secretary may direct, but such number shall not be less than twelve, unless the subscriber so elects, and more than twenty-four;

(b) In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (3) of rule 12, the Secretary may fix such number of installments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six;

(c) A subscriber may, at his option, make repayment in a lesser number of installments than the number of installments prescribed by these rules;

(d) Each installment shall be a number of whole rupees, the amount of the advances being raised or reduced, if necessary to admit of the fixation of such installments.

- (2) (a) The recovery of advance shall be made in the manner provided in rule 10 for the realisation of subscription and shall commence with the issue of the pay for the month following the one in which the advance was drawn;

(b) The recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for a period of ten days or more in a calendar month which period of leave either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half average pay, as the case may be;

- (c) The recovery of advance may be postponed, on the subscriber's written request, by the Secretary during any period when the recovery of an advance of pay granted to the subscriber, is being made.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn, shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund and where the subscriber makes default in making the repayment, the amount withdrawn shall be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum, or in monthly installments not exceeding twelve as may be directed by the Secretary:

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Secretary for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner provided in this sub-rule.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made, to the account of the subscriber to the Fund.

(5) Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to disbelieve that money drawn as an advance from the Fund under rule 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his belief and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance

has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he is on leave. If, however, the total amount to be repaid is more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Explanation.- For the purpose of this rule, the term "emoluments" does not include subsistence grant.

14. Withdrawal from the Fund.— (1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the Chief Accounts Officer, at any time-

(A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :-

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:-

- (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
- (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

- (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal or marriage of the subscriber or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him;
 - (c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
 - (d) meeting the cost of consumer durables such as Television, Video Cassette Recorder or Video Cassette Player, Washing Machines, Cooking Range, Geysers and Computers.
- (B) Any time during the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:-
- (a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or a flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Society;
 - (b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;
 - (c) purchasing a house site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
 - (d) reconstructing or making additions or alternations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
 - (e) renovating, additions or alternations or upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan from the Board;
 - (f) constructing a house on a site purchased under clause (c);

(C) within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose.

(D) (a) Withdrawal for purpose of motor car, motor cycle, scooter etc:-

An employee who has completed 15 years of service (including broken period of service if any) or who has less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part-final withdrawals from their Provident Fund for purchasing a Motor car, motor cycle or scooter, etc., or for repaying the Government loan already taken by them for the purpose, subject to the following conditions:-

(i) the officer's basic pay should be Rs.19530 per month or more in the case of purchase of motor car and Rs.8560 per month or more in the case of motor cycle or scooter etc.

(ii) the amount of withdrawal including the withdrawal for making deposit for booking the vehicle, if any, is limited to Rs.1,80,000 for purchase of motor car and Rs.30,000 for purchase of motor cycle or scooter etc. or the 50% of the amount at the credit on the date of application or the actual cost of the vehicle whichever is the least.

(iii) the Secretary may allow, in special cases, an advance refundable in not more than 36 installments in the case of officers who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months. All other conditions shall not be relaxable.

(iv) the officers who have been allowed advance according to (iii) above, may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.

(v) such withdrawal shall be allowed only on one occasion.

(b) Grant of final withdrawal for the extensive repairs or overhauling of motor cars-(A) An employee who has completed 28 years of service or who

has less than 3 years to attain the age of superannuation, may be permitted to make final withdrawals from Provident Funds for the extensive repairs or overhauling of their motor cars subject to the following conditions:-

- (i) the officer's pay is Rs.19,530 or more;
- (ii) the amount of withdrawal is limited to Rs.10,000 or $1/3^{\text{rd}}$ of the amount standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund or the actual amount of repairing/overhauling, whichever is the less;
- (iii) not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased by the officer concerned. In the case of second hand car, the initial date of purchase by the first purchaser shall be taken into account.
- (iv) such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.

(c) Final withdrawal for making deposit for booking a car or motor cycle or scooter or moped etc.— An employee who has completed 15 years of service (including broken periods of service, if any), may be permitted to make a part final withdrawal from the Provident Funds for booking a motor car or motorcycle or scooter or moped etc. subject to the following conditions:-

- (i) the officer's basic pay is Rs.19530 per month or above for registration of motor car and basic pay of Rs.8560 per month or above in the case of motor cycle or scooter etc.,
- (ii) the amount of withdrawal is limited to Rs.22,000 in the case of car and Rs.4000 in the case of motor cycle or scooter, etc., or the actual amount of booking of the car or motor cycle or scooter, etc whichever is less;
- (iii) the deposit receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from

the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal;

(iv) if the officer does not purchase a car or motor cycle or scooter, etc. or opts out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer or dealer in to the Provident Fund Account;

(v) the Secretary may allow, in special cases, an advance refundable in not more than 36 installments in the case of officers who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months. All other conditions shall not be relaxable.

(vi) the officers who have been allowed advance according to (f) above may be permitted to convert the outstanding amount of advance into final withdrawal after completion of 15 years of service;

(vii) such withdrawal shall be allowed only on one occasion; and

(viii) the amount of Rs.22,000 or Rs.4000, as the case may be, referred to above, shall be taken into account for determining the overall ceiling at present fixed for withdrawal from Provident Fund.

Note 1.- A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme sponsored by the Board or Government for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) and (f) of clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject the limit specified in the proviso to sub-rule (1) (b) of rule 15.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Board he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-

clause (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 2.— Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e) or (f) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alternations to be made, duly approved by the Local Municipal Body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3.- Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 4.- Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alternation to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the Local Municipal Body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Withdrawal for meeting the cost of education of a child may be allowed on annual basis till the concerned child continues to pursue the technical or professional course. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under rule 15(1).

Note 5.- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Provident Fund Account with reference to the latest available statement of Provident Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber.

(3) The authority competent to sanction an advance for special reasons under the relevant Provident Fund Rules may sanction final withdrawals in terms of these orders, subject to the fulfilment of conditions mentioned above. The procedural details shall be as in the case of other withdrawals.

15. Condition for withdrawal.— (1) (a) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 14 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months pay whichever is less.

(b) The Chief Accounts Officer may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to three fourths of the balance at his credit in the Fund having due regard to-

- (i) the status of the subscriber;
- (ii) the object for which the withdrawal is being made;
- (iii) the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund:

Note: Withdrawal may be allowed up to 90% of the amount at credit of the subscriber in respect of cases specified in clauses (B) and (C) of sub-rule(1) of rule 14:

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of sub-rule (1) of rule 14 shall exceed the maximum limit prescribed for the house building advance in Oil Industry Development Board regulations:

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance for house building purposes from the Board or under a scheme sponsored by the Central Government for the grant of house building advance or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken from the Board or under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government shall not exceed the maximum limit prescribed for the house building advance in Oil Industry Development Board regulations.

Note.— In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a house building cooperative society or similar agency, he or she shall be permitted to make a withdrawal as and when he or she is called upon to make a payment for a separate purpose for the purposes of rule 14.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under rule 14 shall satisfy the Chief Accounts Officer within a reasonable period as may be specified by him that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been utilised for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered by deduction from his or her emoluments either in a lump sum, or in such

number of monthly installments, as may be directed by the Chief Accounts Officer.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub-rule (1) of rule 14 to withdraw money from the amount standing to his or her credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Secretary), gift, exchange or otherwise without the previous permission of the Secretary:

Provided that such permission shall not be necessary for –

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years; or
 - (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank or the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.
- (b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged or otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the Secretary on or before the date specified by the Secretary in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.
- (c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Secretary, he or she shall forthwith repay the sum so

withdrawn by him from the Fund in lump sum to the Fund, and, in default of such repayment, the Secretary shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly installments, as may be determined by the Secretary.

Explanation.— A subscriber who has taken loan from Government and in lieu thereof has mortgaged the house or house site to the Government shall be required to furnish a declaration to the following effect, namely :-

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Government".

16. Conversion of an advance into withdrawal.— (1) A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 12 for any of the purposes specified in clauses (a), (b) or (c) of sub-rule (1) of that rule, may convert by written request addressed to the Secretary, the balance outstanding against him in relation to that advance, into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 14 and 15.

(2) For the purposes of this rule in calculating the amount that may be allowed to be withdrawn by a subscriber under sub-rule (1) of rule 15, the amount standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

17. Final withdrawal of accumulations in the Fund.— When a subscriber quits the service, the amount outstanding to his credit in the Fund shall become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate specified in rule 11, in the manner provided in the proviso to rule 18. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation 1.— A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service when he or she is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in a department of the Central Government (in which he or she is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscription together with interest thereon shall be transferred-

- (a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that Fund; or
- (b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions and interest.

Explanation 2.— Transfer shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Board. In cases, where there has been break in service, it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station. The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment.

Explanation 3.— (a) When a subscriber other than the one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, is

405 GI/13-8

transferred without any break, to the service under another body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organization, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), the amount of subscriptions and interest thereon, shall not be paid but shall be transferred with the consent of that body, to his new Provident Fund Account under that body.

(b) Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under another body corporate, owned or controlled by Government or an autonomous organization, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time as admissible under the Government rules on transfer from one post to another.

18. Retirement of subscriber.— When a subscriber –

- (a) has proceeded on leave preparatory to retirement; or
- (b) while on leave, has been permitted to retire or declared by competent medical authority to be unfit for further service,

the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall if required to do so by the Secretary repay to the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 11 in cash or securities, or partly in cash and partly in securities, by installments or otherwise by recovery from his emoluments or otherwise, as the Secretary may direct.

19. Procedure on death of subscriber.— On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made:-

(i) When the subscriber leaves a family -

(a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 6 in favour of a member or members of his family subsists,

the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to -

- (i) sons who have attained majority;
- (ii) sons of a deceased son who have attained majority;
- (iii) married daughters;
- (iv) married daughters of a deceased son;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (i), (ii), (iii) and (iv):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (i) of the first proviso.

Note: (i) Any sums payable under these rules to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of section 3 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925);

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 6 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

Explanation 1.— When a nominee is a dependent of the subscriber as defined in clause (c) of section 2 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the amount vests in such nominee under sub-section (2) of section 3 of that Act.

Explanation 2.— when the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of rule 6 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

20. Deposit-linked Insurance Scheme.—

On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Secretary an additional amount equal to the average balance in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that —

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of —

- (i) Rs.25000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) or above and drawing a Grade Pay of Rs.4800 per month or more;
- (ii) Rs.15000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) and drawing a Grade Pay of Rs.4200 per month or more but less than Rs.4800 per month;
- (iii) Rs.10000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2, Pay Band-1 or Pay Band 1S (Rs.4440-7440) and drawing a Grade Pay of Rs.1400 per month or more but less than Rs.4200 per month;
- (iv) Rs.6000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band 1S (Rs.4440-7440) and drawing a Grade Pay of Rs.1300 per month or more but less than Rs.1400 per month;
- (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs.60,000;
- (c) the subscriber has put in at least five years' service at the time of his or her death.

Note 1.- The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above-

- (a) the balance at the end of March, shall include the annual interest credited in terms of rule 11; and
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.— Payment under this scheme should be in whole rupee, if an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.— Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.

21. Manner of payment of amount in the fund.— (1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund, becomes payable it shall be the duty of the Secretary to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid, is lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), the payment shall be made to such manager and not to the lunatic:

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall, under the orders of the Collector, be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), to the person having charge of such lunatic and the Secretary shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

- (3) (a) Any person who desires to claim payment under this rule shall send a written application in that behalf to the Secretary;
- (b) Payment of amount withdrawn shall be made in India only;

(c) The persons to whom the amount are payable shall make their own arrangements to receive payments in India.

Explanation.— When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rules 17, 18 or 19, the Secretary shall authorise prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, in the manner indicated in sub-rule (3).

22. Number of Account to be quoted at the time of payment of subscription.— When paying a subscription either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Chief Accounts Officer and any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Chief Accounts Officer.
23. Annual statement of Account to be supplied to the subscriber.— (1) (a) As soon as possible after the 31st March of each year, the Chief Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on 1st April of the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date;
- (b) the Chief Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry whether the subscriber—
- (i) desires to make any alternation in any nomination made under rule 6;
- (ii) has acquired a family in a case where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the first proviso to sub-rule (1) of rule 6.

- (2) A subscriber shall satisfy himself as to the correctness of the annual statement and errors shall be brought to the notice of the Chief Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement.
- (3) The Chief Accounts Officer shall, if required by a subscriber; more not than once in a year, inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the fund at the end of the last month for which his account has been written up.
24. Application to be addressed to the Secretary.— All applications under these rules shall be addressed to the Secretary.
25. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases.— When the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these rules, deal with the case of such subscriber in such manner as the Board may considers it fit to be just and equitable.
26. Any matter not covered by these rules shall be regulated to the extent applicable and appropriate in accordance with the relevant provisions contained in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time.
27. Interpretation.— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision, who shall decide the same.

[F. No. G-38011/8/2013-Fin-I]

V. L. V. S. S. SUBBA RAO, Adviser (IFD)

SCHEDULE

[RULE 6(3)]

FORM OF NOMINATION

I, hereby nominate the person (s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my family as defined in Rule 3 of the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Rules, 2013 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Account No.

Name & Full Address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2, indicate the reasons
1	2	3	4	5	6	7

Dated this day of 20 at

Signature of the Subscriber.....

Name in block letters.....

Designation

Two witnesses to signature

Name & Address

1.

2.

(Reverse of the form)
Space for use by the Head of Office/Pay & Accounts Office

Nomination by Shri/Smt/Kumari..... Designation.....
Date of receipt of nomination..... Signature of Head of Office/Pay & Accounts Officer
Date..... Designation.....

Instructions for the subscriber—

- (a) Your name may be filled up.
(b) Name of the Fund may be completed suitably.
(c) Definition of term "family" as given in the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Rules, 2013, is reproduced below.

Family means—

- (i) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a parental grandparent.

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

- (ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a parental grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE – child means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognized by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) who lives with the Government servant and is treated as a member of the family and to whom the Government servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (d) Col.4 If only one person is nominated, the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.
(e) Col.5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.
(f) Col.6 Do not mention your name.
(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.